

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

{Civil Procedure code, Appendix "D-1"}


अज अदालत ... श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर जिला चूरु व
इजलास पीठासीन अधिकारी श्री श्योराम वर्मा R.A.S.

..... राधेश्याम बनाम सावित्री देवी आदि

दावा बाबत घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन, विभाजन, चिर निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 97/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू हाजरी श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट मिनजानिब मुदई व श्री आमीन शेख, पैरोकार राज. मिन जानिब मुदापलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि रोही ढढ़ेरू भांभूवान के खसरा नम्बर 258 रकबा 9.3077 हैक्टेयर (36-16 बीघा), खसरा नम्बर 267 रकबा 8.3719 हैक्टेयर (33-12 बीघा), खसरा नम्बर 696 रकबा 2.7948 हैक्टेयर (11-01 बीघा) कुल खसरे 3 कुल रकबा 20.4744 हैक्टेयर (80-19 बीघा) तथा रोही ढढ़ेरू गोदारान् में वर्तमान खसरा नम्बर 250 रकबा 0.9106 हैक्टेयर (3-12 बीघा), खसरा नम्बर 258 रकबा 6.0956 हैक्टेयर (24-2 बीघा), खसरा नम्बर 484 रकबा 5.5518 हैक्टेयर (21-19 बीघा), खसरा नम्बर 537 रकबा 2.1246 हैक्टेयर (8-08 बीघा) कुल खसरे 4 कुल रकबा 14.6826 हैक्टेयर (58-01 बीघा) में से प्रति. स. 1 ता 9, 29 से 42 का नाम हटाया जाकर एवं मदनलाल व रामनारायण की वल्दीयत दुरुस्त कर मुताबिक राजीनामा एवं कब्जा काश्त के रोही ढढ़ेरू भांभूवान के खेत खसरा नम्बर 258 रकबा 36-16 बीघा में से उत्तरी तरफ की 1/2 हिस्सा (18-08 बीघा) स्व. धनराज के वारिसान प्रतिवादी सख्या 50 से 57 के ब. हि. बराबर तथा दक्षिणी पाखी की 1/2 हिस्सा (18-08 बीघा) में से 14-11 बीघा प्रतिवादी स. 64 अर्जुनराम के व बाकी 3-17 बीघा स्व. रामनारायण के वारिसान प्रतिवादी सख्या 18 से 28 के तथा खसरा नम्बर 267 रकबा 33-02 बीघा में से 09 बीघा पश्चिमी पाखी की प्रतिवादी स. 65 गौरादेवी पत्नी अर्जुनराम के तथा बाकी पूर्वी तरफ की 24-02 बीघा भूमि स्व. किशनलाल के वारिसान वादी, गौण प्रतिवादी सख्या 2 ता 7 के कब्जा काश्त में तथा खेत खसरा नम्बर 696 रकबा 11-01 बीघा स्व. लक्ष्मीनारायण के वारिसान प्रतिवादी सख्या 58 से 63 के ब. हि. ब दर्ज हो, तथा ढढ़ेरू गोदारान् के खसरा नम्बर 484 व खसरा नम्बर 537 कुल रकबा 30-05 बीघा खातेदार मदनलाल के वारिसान प्रतिवादी सख्या 10 से 17 के 1/2 हिस्सा ब. हि. बराबर तथा 1/2 हिस्सा गौण प्रतिवादी सख्या 1 एक मोहनलाल के व खेत खसरा नम्बर 250, 258 कुल रकबा 27-14 बीघा में से पूर्वी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि घेवरचन्द के वारिसान प्रतिवादी सख्या 43 से 49 के ब. हि. बराबर तथा पश्चिमी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि रामनारायण के वारिसान प्रति. स. 18 से 28 के ब. हि.


उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरु)

अलग अलग कायम की जाये। मुताबिक विभाजन खातेदारान का राजस्व रेकार्ड नक्शो में तरमीम कर खसरे अलग आदेश दिया जाता है कि वादी के कब्जा काष्ठ में दखल अन्दाजी नहीं करें।

फीस मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख ..26.....माह..दिसम्बर.....2022

मुहर

दस्तख्त अधिकारी
ओहदा बीजासर (चूक)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, अर्ज करना चाहिये।

उपरखर्च अधिकारी
बीजासर (चूक)